भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1719
दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन

1719. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या है और स्वच्छ भारत मिशन के चरण-।। और शहरी विकास मिशन के अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट लक्ष्य क्या हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु के भीतर उक्त मिशन के अंतर्गत कितना वित्तीय आवंटन और व्यय किया गया,
(ग) खुले में शौच में कमी लाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने सहित स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार करने पर इस मिशन का क्या प्रभाव पड़ा है;
(घ) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पद्धतियों में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ङ) क्या सरकार को स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन में किन्हीं चुनौतियों अथवा अड़चनों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं, और
(च) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निधियन और स्थानीय सरकार की भागीदारी सहित कार्यान्वयन के पश्चात् स्वच्छता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक स्थायित्व योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) चरण-II का लक्ष्य गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति बनाए रखना, सभी गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से कवर करना और उन्हें ओडीएफ प्लस आदर्श गांवों में परिवर्तित करने के लिए वर्ष 2024-25 तक दृष्टिगत स्वच्छता से परिपूर्ण करना है।

भारत सरकार ने कस्बों और शहरों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के उद्देश्य से दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया। भावी प्रगति के लिए, एसबीएम - शहरी 2.0 को दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को 100% स्रोत पृथक्करण, स्वस्थाने संग्रहण और कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रसंस्करण, वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान, सभी विरासत डंपसाइट्स को ग्रीन ज़ोन में परिवर्तित करके और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए मल कीचड़ सहित उपयोग किए गए पानी के उपचार के माध्यम से "कचरा मुक्त" स्थिति प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपचारित जल से भूजल अथवा जल निकाय कोई भी प्रदूषित नहीं हों।

(ख) एसबीएम (जी) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में वर्ष-वार केन्द्र द्वारा आबंटित, ज़ारी और व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:

करोड़ रु. में

वर्ष	**केंद्र अंश आवंटन**	**केंद्र अंश जारी**	**केंद्र अंश व्यय***
2021-22	26.29	0	119.84
2022-23	421.10	78.47	144.43
2023-24	239.74	239.74	224.93
2024-25	300.00	75.00	122.66

* व्यय वर्ष के लिए अथशेष और वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों के सापेक्ष है।

एसबीएम-यू के अंतर्गत निधियां मिशन सावधि रूप से आबंटित की जाती हैं न कि वार्षिक आधार पर। तमिलनाडु राज्य को आबंटित और ज़ारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है

करोड़ रुपये में

एसबीएम चरण	**एसबीएम-यू (2014-2021)**	**एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026)**
निधि आवंटन	1200.50	3296.70

करोड़ रुपये में

वर्ष	**निधि ज़ारी**
2021-22	224.91 (एसबीएम-यू 1.0 के तहत 22.48 और एसबीएम-यू 2.0 के तहत 202.43)
2022-23	384.66
2023-24	69.05
2024-25 (02.12.24 की स्थिति के अनुसार)	173.50

(ग) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना है। देश के सभी गांवों ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयंमेव को ओडीएफ घोषित कर दिया। प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा दुनिया की अग्रणी बहु-विषयक विज्ञान पत्रिका नेचर में वर्ष 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ने देश भर में शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है - जिससे सालाना 60,000 - 70,000 शिशु जीवन सुरक्षित हुए हैं। यूनिसेफ द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुछ चयनित गांवों में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, गैर-ओडीएफ गांवों की तुलना में ओडीएफ गांवों में भूजल स्रोत 12.7 गुना कम दूषित होने की संभावना थी।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के शुभारंभ के बाद से, 4889 यूएलबी को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्रमाणित किया गया है और देश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण वर्ष 2014 में 16% से बढ़कर 80.26% हो गया है।

(घ) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पद्धतियों में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं

- बुनियादी स्तर पर एसबीएम-जी की महिला चेंजमेकर्स को सम्मानित करने के लिए दिनांक 25 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में महिला चेंजमेकर्स की उपलब्धियों पर समारोह आयोजित किया गया और भावी नीतियों को दूरदर्शिता पूर्ण बनाने हेतु व्यावहारिक आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ जीवंत संवाद हेतु सम्पूर्ण देश की 475 से अधिक महिलाओं को एकजुट किया है।
- दिनांक 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वाभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम के तहत एक पखवाड़े का स्वच्छता अभियान "स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस-2024) अभियान आयोजित किया गया था, इसके बाद स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2024 अभियान के समापन को चिह्नित करने के लिए स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन किया गया था। 'सेवा पखवाड़ा' के 15 दिनों के दौरान, देश भर में 27 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 28 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। एसएचएस के दौरान कुल 30.91 करोड़ लोगों की भागीदारी की सूचना दी गई है। इस अवधि के दौरान 175 से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई हैं, जिनमें स्वर्गीय श्री रतन टाटा, बिल गेट्स और खेल और बॉलीवुड की कई अन्य हस्तियां शामिल हैं।

- बुनियादी स्तर पर एसबीएमजी चरण II के संदेश को लोकप्रिय बनाने के लिए माई गव पोर्टल पर अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई है, जैसे 7 दिवसीय स्वच्छता चुनौती, स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्षों के लिए रील प्रतियोगिता, स्वच्छ भारत के लिए लेख लेखन प्रतियोगिता: परिवर्तन की 10 साल की यात्रा, हमारा शौचालय हमारा सम्मान - विश्व शौचालय दिवस 2024 के दौरान फोटोग्राफी प्रतियोगिता, आदि। इससे व्यवहार परिवर्तन हेतु समाज के सदस्यों के बीच ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न होगी।
- बुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, एसबीएम अकादमी- एसबीएम (जी)-II के विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम शुरू किया गया है और अब तक लगभग 90,000 क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया है।

(ङ) ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) कार्यकलापों की आयोजना और कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियों और कर्मचारियों का क्षमता निर्माण प्रमुख मुद्दा है। ग्राम पंचायतों के क्षमता निर्माण, तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर सक्षम मानव संसाधनों का एक पूल सृजित करने की आवश्यकता की स्वीकार्यता सहित डीडीडब्ल्यूएस ने मास्टर प्रशिक्षकों (एमटी) के सृजन के लिए एक पहल शुरू की है। एमटी द्वारा बाद में सरपंचों/स्वच्छाग्रही/पंचायत सचिवों को ओडीएफ प्लस पर प्रशिक्षिण प्रदान किया जाता है और ग्राम पंचायतों और गांवों को अपनी ओडीएफ प्लस ग्राम स्वच्छता योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए पथप्रदर्शन सहायता प्राप्त होती है। अब तक 28 राज्यों में 3,328 मास्टर प्रशिक्षकों (एमटी) का एक पूल तैयार किया गया है।

संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। 74वें संवैधानिक संशोधन में शहरों और कस्बों में शासन की सबसे निम्नतम इकाई के रूप में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की स्थापना और शक्तियों के अंतरण का अधिदेश किया है। तथापि, स्वच्छ भारत मिशन के कुशल कार्यान्वयन में शहरों के सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है

- अपशिष्ट प्रसंस्करण दरों में वृद्धि करने के लिए कम्पोस्ट, बायो-मिथेनेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा, सामग्री रिकवरी सुविधा (एमआरएफ), कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अपशिष्ट प्रसंस्करण आदि जैसी कचड़ा प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए शहरों की विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों के लिए 25%, 33% और 50% की अलग-अलग दरों पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए)।
- योजना, डिजाइन, प्रचालन और अनुरक्षण सहित एसडब्ल्यूएम के सभी पहलुओं को कवर करते हुए नियमावली, सलाहों, डिजाइनों, प्रोटोकॉलों द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

- मिशन अनुसंधान और विकास में निवेश, प्रौद्योगिकी चुनौतियों और जीईएम में शामिल करने की सुविधा आदि के माध्यम से लघु और निजी उद्यमियों और स्टार्ट-अप द्वारा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से नवप्रवर्तित, लागत प्रभावी समाधान और व्यवसाय मॉडल को अपनाने को भी प्रोत्साहित करता है।
- सरकार द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छता सर्वेक्षण' ने शहरों में बेहतर स्वच्छता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए शहरों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को प्रोत्साहित किया है।
- मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु संस्थागत क्षमता सृजित करने हेतु राज्यों और शहरों को क्षमता निर्माण (सीबी) के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।
- कचरा मुक्त शहरों के विजन को साकार करने के लिए जन आंदोलन को तीव्र करने और स्वच्छ व्यवहार को संस्थागत बनाने और संबंधित कार्यों को संस्थागत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जन संपर्क के साथ जागरूकता सृजन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और शहरों को आईईसी के लिए निधियां भी प्रदान की जाती हैं।
- इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए) नीति निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है।

(च) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II को वर्तमान में वर्ष 2024-25 तक का अनुमोदन प्राप्त है।

*****